उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-21/2015/सीपी 510/84-2-2015-सीपी 12/2011
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री नरेन्द्र सिंह रावल पुत्र स्व0 ईश्वरी प्रसाद रावल, म0नं0 ए-195, साउथ सिटी, रायबरेली रोड (लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने), लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 433/84-2-2011-सीपी 12/2011, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बस्ती में अध्यक्ष के पद पर की गयी थी। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सीपी 109/84-2-2013-सीपी 8/2012, दिनांक 11 मार्च, 2013 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह रावल का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा के अध्यक्ष के पद पर किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1700/एससीडीआरसी/अधि/124/11, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह रावल के पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री नरेन्द्र सिंह रावल द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा के अध्यक्ष के पद से कुछ व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 01 जुलाई, 2015 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह रावल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा का त्यागपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा के अध्यक्ष के पद से श्री नरेन्द्र सिंह रावल पुत्र स्व0 ईश्वरी प्रसाद रावल, म0नं0 ए-195, साउथ सिटी, रायबरेली रोड (लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने), लखनऊ द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 01 जुलाई, 2015 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 21/2015/सीपी 510/84-2-2015-सीपी 12/2011, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, इटावा।
(3) कोषाधिकारी, इटावा।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, इटावा (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री नरेन्द्र सिंह रावल पुत्र स्व0 ईश्वरी प्रसाद रावल, म0नं0 ए-195, साउथ सिटी, रायबरेली रोड (लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने), लखनऊ
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in